भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4743**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

बजटीय आबंटन को घटाया जाना

4743. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायन और उर्वरक क्षेत्र, जो कृषि, उद्योग और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में बजट आबंटन में 13.2 प्रतिशत की कमी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार विशेषकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए किसानों के लिए आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता और वहनीयता को किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना बना रही है;

(ग) इस बजटीय कटौती के कारण उर्वरक बाजार में मूल्य वृद्धि अथवा उर्वरकों की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है और इससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सहायता करने की सरकार की प्रतिबद्धता किस प्रकार प्रभावित होगी; और

(घ) क्या सरकार को रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन और आपूर्ति, विशेषकर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी पहलों के संबंध में इस घटे हुए आबंटन के प्रत्याशित प्रभाव की जानकारी है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (घ): उर्वरक विभाग का बजट अनुमान देश में उर्वरकों की संभावित खपत, प्राकृतिक गैस के मूल्य, जो कि उर्वरक उत्पादन में प्रमुख आदान लागत है और तैयार उर्वरक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों जो वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकते हैं, के आधार पर लगाया जाता है। बजट अनुमान (बीई) 2024-25 में 1,68,130.81 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के लिए, संसद द्वारा पारित अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से अंतिम आवंटन बढ़कर 1,91,836.29 करोड़ रुपये हो गया है।

इसी तरह, एनबीएस स्कीम में, बजट अनुमान (2024-25) में 45,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के **लिए**, संसद द्वारा पारित अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से अंतिम आवंटन बढ़कर 54310 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए एनबीएस के लिए निधियों में कोई कमी नहीं की गई है।

वर्ष 2025-26 तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 93,068.56 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय को अनुमोदित किया गया है।

(ख) और (ग): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम के लिए किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही तय कर दिया जाता है।

किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा की बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है और दिनांक 01.03.2018 से आज तक एमआरपी अपरिवर्तित रही है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी(एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत, सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) सहित उनके पोषकतत्वों की मात्रा के अनुसार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है, उर्वरक कंपनियों को उचित स्तरों पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करती हैं।

इसके अलावा, किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज मुहैया कराए हैं। हाल ही में, वर्ष 2024-25 में, मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, उर्वरक

कंपनियों द्वारा डीएपी की खरीद की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, सरकार ने दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर ₹3500 प्रति मीट्रिक टन की दर से एकबारगी विशेष पैकेज को अनुमोदित किया है, जिसे अब किसानों को वहनीय कीमतों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, पीएण्डके उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित एमआरपी के तर्कसंगतता के मूल्यांकन संबंधी दिशा-निर्देश भी देश भर में किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उर्वरकों/कच्ची सामग्रियों/मध्यवर्तियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उर्वरक विभाग संसाधन संपन्न देशों के साथ लगातार विचार-विमर्श करता है ताकि देश में वहनीय मूल्यों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग भारत को उर्वरकों/कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों की निर्बाध और विश्वसनीय आपूर्ति के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और संसाधन संपन्न विदेशी उर्वरक कंपनियों के बीच करारों अथवा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है।

*****